

1. यह दावा/प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा... 212 A.T.C-1 का द्वारा श्री... के द्वारा प्रस्तुत हुआ है।
2. कोर्ट के लिए प्रार्थना...
3. इस प्रार्थना पत्र में...
4. दस्तावेजों के माध्यम से...
5. वाद शिथिल नहीं कर सका है। अतः अपलोकनार्थ सादर प्रस्तुत है।

श्रीमान उपर्युक्त अधिकारी महोदय शान्ता लिपिक/टीआर
25-3-22

आचार्य पेशी व 3
रिपोर्ट का प्रेषण
वि प्रकाशित 125
14-3-22

14-3-22 वकील वकील उप०। अंतजार तामिल आयन्दा कि
5-4-22 को पेश करें।

5-4-22 वकील वकील उप०। इतने तामिल में नियन्त्रित
प्रवृत्ति। अतः की तामिल प्रारंभ की है। वकील
गौर तामिल किन्तु 18-4-22 को पेश करें।

18-4-22 वकील वकील उप०। वही गौर तामिल किन्तु 25-4-22
को पेश करें।

25-4-22 वकील वकील उप०। मूलवाद में अज्ञात की शकपत्र प्रवृत्ति
के द्वारा है। अतः प्रार्थना पर 212 आर.टी. 212 तापनेला
दावा शिथिल नहीं कर सका है। अतः अपलोकनार्थ
पर कोर्ट शमार कर सका मूलवाद है।